

नई दिल्ली, दिनांक...05.08.2015

संकल्प

संख्या ई-11015/02/2015-हिंदी। इस मंत्रालय के दिनांक 30.04.2012 के संकल्प संख्या ई-11015/7/2009-हिंदी का अतिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है:-

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. सूचना और प्रसारण मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |

गैर-सरकारी सदस्य

(संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित)

3. श्री अमर शंकर सैबल, सांसद (राज्य सभा)
4. श्री नरेश अग्रवाल, सांसद (राज्य सभा)
5. श्री ओम प्रकाश यादव, सांसद (लोक सभा)
6. कैप्टन अमरिन्द्र सिंह, सांसद (लोक सभा)

(संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित)

7. प्रो. राम गोपाल यादव, सांसद (राज्य सभा)
8. श्री ए. अनवर राजा, सांसद (लोक सभा)

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नामित)

9. आचार्य विजय
10. डॉ. विमलेश कांति वर्मा
11. श्री सूर्यकांत बाली
12. श्री ब्रज किशोर शर्मा

(केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा नामित)

13. श्री पंकज दीवान

(राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा नामित)

14. श्री अनन्त राम त्रिपाठी

(राजभाषा विभाग द्वारा नामित)

15. श्री मनीष शुक्ला
16. श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह
17. श्री संजय कुमार

पदेन सदस्य

18. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
19. सचिव, राजभाषा विभाग और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार, नई दिल्ली।
20. अपर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
21. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
22. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली।
23. संयुक्त सचिव (नी. एवं प्र.), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली। (सदस्य सचिव)
24. संयुक्त सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
25. संयुक्त सचिव (बी-I), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
26. संयुक्त सचिव (बी-II), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
27. निदेशक (राजभाषा), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
28. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती, पीटीआई बिल्डिंग, नई दिल्ली।
29. महानिदेशक (आकाशवाणी), प्रसार भारती, नई दिल्ली।
30. महानिदेशक (दूरदर्शन), प्रसार भारती, नई दिल्ली।
31. महानिदेशक (मीडिया एवं संचार), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली।
32. महानिदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली।
33. अपर महानिदेशक (प्रभारी), प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
34. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, मुंबई।
35. निदेशक, फिल्म समारोह निदेशालय, नई दिल्ली।
36. महानिदेशक, भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली।
37. निदेशक, सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, ई.एम.बाईपास रोड, पोस्ट पंचशायर कोलकाता-700094.
38. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स इंडिया लि., नई दिल्ली।
39. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई।
40. निदेशक, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली।
41. प्रेस पंजीयक, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय, नई दिल्ली।
42. महानिदेशक, फोटो प्रभाग, नई दिल्ली।
43. सचिव, भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली।
44. निदेशक, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र।
45. महानिदेशक, फिल्म प्रभाग, मुंबई।
46. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बाल चित्र समिति, भारत, मुंबई।
47. मुख्य लेखा नियंत्रक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
48. निदेशक, गीत और नाटक प्रभाग, नई दिल्ली।
49. अपर महानिदेशक, न्यू मीडिया विंग, नई दिल्ली।
50. निदेशक, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, पुणे, महाराष्ट्र।

समिति के कार्य, कार्यकाल एवं अन्य सामान्य जानकारी संबंधी ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।



(मिहिर कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23384453

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)।

